भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1043

गुरुवार, 15 दिसंबर, 2022/ 24 अग्रहायण, 1944 (शक)

डिलीवरी एजेंटों के लिए बीमा और चिकित्सा सुविधाएं

1043. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मोबाइल एप्लिकेशनों के माध्यम से खाद्य पदार्थों एवं उत्पाद का वितरण और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को अपना कर्मचारी नहीं मानती हैं जबकि उनका पूरा व्यवसाय उन्हीं पर निर्भर करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कंपनियां उक्त व्यक्तियों को कोई बीमा और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराती हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है जो पहली बार 'प्लेटफ़ॉर्म कामगार' को परिभाषित करता है। संहिता के अनुसार, "प्लेटफ़ॉर्म कार्य" का तात्पर्य अन्य बातों के साथ-साथ, एक पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी से अलग कार्य व्यवस्था से है। संहिता में जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की परिकल्पना की गई है।

तथापि, संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है।

*****